प्र.सं. 20/2018 धीरा बनाम वालजी, प्र.सं. 27/2018 वालजी बनाम धीरा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 20/1018 के अपीलान्ट ने एक वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष पूना जी थे जिसके पुत्र लवजी हुए। लवजी के दो पुत्र वादीगण धीरा व हकरू हुए। प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष गलिया जी का पुत्र जगतु हुआ, गलिया के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हैं। वादीगण के पूर्वज पूना जी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के आराजी नंबर 189, 194, 463 कुल किता 3 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम जलदा में स्थित है। पूना जी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र लवजी का कब्जा रहा तथा लवजी की मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है एवं मौके पर वादीगण के चार मकान बने होकर उसमें निवास करते हैं। वक्त सेटलमेन्ट साबिक आराजी नंबर 189 के नये नंबर 1871, 1842, 1847, 1849, 1850, 1851, 1853, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1868, 1869 बने। इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 194 के नये नंबर 1870, 1871, 1872 बने व साबिक आराजी नंबर 463 के हाल आराजी नंबर 1721, 1724 बने। वादीगण उक्त आराजियात पर काबिज चले आ रहे हैं तथा राजस्व अभिलेख में वादीगण के पूर्वजों के नाम की प्रविष्टि है, किन्तु बिना किसी आदेश, निर्णय व डिक्री के राजस्व कर्मचारियों ने अनाधिकृत रूप से प्रतिवादीगण के पूर्वज गलिया का नाम दर्ज कर दिया है तथा गलिया की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम दर्ज हो गया है। अतः वादीगण को वाद पत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 09.05.2018 से मौके पर वादीगण के कब्जे वाली आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर वादीगण धीरा व हकरू द्वारा अपील संख्या 20/1018 दिनांक 06.09.2018 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि प्रतिवादीगण वालजी वगैरह द्वारा एक अन्य अपील संख्या 27/2018 दिनांक 12.10.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 8/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध होने से तथा दोनों अपीलों के तथ्य समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखा जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर संलग्न की जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:49:31 IST
Reason: SelfAttested

दोनों अपीलों के अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में दोनों अपीलों की मयाद कण्डोन की जाकर अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए अपील संख्या 20/1018 के विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्ट वादीगण को नहीं दी तथा वादीगण की विधिक प्रावधानों अनुसार तामिल नहीं हुई है। प्रकरण में दिनांक 03.05.2018 को दिनांक 10.05.2018 के लिए पेशी नियत की गयी, किन्तु उसके पूर्व ही बिना पक्षकारान के आवेदन के पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 09.05.2018 को ही निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय नहीं करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

अपील संख्या 27/2018 के विद्वान अधिवक्ता ने वक्त बहस बताया कि प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये तथा अपीलान्टगण को बिना समुचित अवसर दिये प्रकरण राजस्व कैम्प में निर्णित कर दिया, जबकि राजस्व कैम्प हेतु दोनों पक्षों की कोई सहमति नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी, किन्तु तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत था तथा दिनांक 03.05.2018 की आदेशिका अनुसार प्रकरण में दिनांक 10.05.2018 की पेशी नियत थी, किन्तु इससे पूर्व ही बिना कोई साक्ष्य लिये तथा पक्षकारों की बिना किसी सहमति के प्रकरण दिनांक 09..5.2018 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:49:31 IST
Reason: SelfAttested

(…ता मीना)
…व अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर